

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन संख्या-126/2017/बीकानेर

(अपील सं. 2381/2008/बीकानेर निर्णय दिनांक 28.09.2016)

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, बीकानेर

...अपीलार्थी

बनाम
मै. रवि ट्रेडर्स, गोड्डू बज्जू,
बीकानेर।

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उपराजकीय अभिभाषक
श्री सुरेश ओझा
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.04.2018

निर्णय

1. यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोंडेंट व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2381/2008 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2016 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से वेट इनवॉइस के जरिये माल क्रय किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इस पर रु 11,10,761/- का आई.टी.सी. (Input Tax Credit) क्लेम किया था, जो कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी फर्जी एवं बोगस फर्म है तथा उनके द्वारा जारी वेट इनवॉइस फर्जी है। व्यवसायी का तर्क था कि उसके द्वारा किए गए संव्यवहार के समय विक्रेता फर्म चालू स्थिति में थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रेता फर्म का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 01.04.06 से निरस्त किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार का इन्द्राज अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में किया गया है एवं विक्रेता ने उससे अलग से वेट चार्ज किया है तथा इनवॉइस पर टिन नं. दर्ज हैं। जब माल क्रय किया गया था तब विक्रेता पंजीकृत था। विक्रेता को भुगतान भी चेक के जरिये किया गया था। केवल एक इस आधार पर आई.टी.सी नहीं देना कि की गई खरीद बोगस है, अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार की जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 28.09.2016 द्वारा स्वीकार की

2m

लगातार.....2

जाकर आई.टी.सी. का दावा स्वीकार योग्य नहीं होना निर्धारित किया है। प्रार्थी व्यवसायी ने इस आदेश दिनांक 28.09.2016 में संशोधन हेतु रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व्यवसायी ने कथन किया कि उनकी ओर से सुनवाई के समय श्री विजय कुमार पारीक उपस्थित आये थे तथा उन्होंने बहस की थी। बहस में उनकी ओर से 27th Tax Updates Page 109 CTO V/s. Vijay Traders, 9 Tax Updates page 41 M/s. Saraogi Roller Flour Mill V/s. the Assistant Commissioner, 109 STC 439 (S.C.) State of Maharashtra V/s. Suresh Trading Company, 13 Tax Updates the Assistant Commissioner V/s. Saraogi Roller Mill (High Court) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये थे परन्तु खण्डपीठ द्वारा निर्णय के समय इन न्यायिक दृष्टांतों पर विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का शपथ पत्र व नोटशीट की प्रति संलग्न की गई हैं।
5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि बहस के समय जो कथन किये गये थे उन पर माननीय खण्डपीठ द्वारा विचार कर निर्णय पारित किया गया है जिस पर रेक्टिफिकेशन के आधार पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
7. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी व्यवसायी का रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह है कि उनकी ओर से सुनवाई के समय श्री विजय कुमार पारीक उपस्थित आये थे तथा उन्होंने बहस की थी। बहस में उनकी ओर से 27th Tax Updates Page 109 CTO V/s. Vijay Traders, 9 Tax Updates page 41 M/s. Saraogi Roller Flour Mill V/s. the Assistant Commissioner, 109 STC 439 (S.C.) State of Maharashtra V/s. Suresh Trading Company, 13 Tax Updates the Assistant Commissioner V/s. Saraogi Roller Mill (High Court) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये थे परन्तु खण्डपीठ द्वारा निर्णय के समय इन न्यायिक दृष्टांतों पर विचार नहीं किया गया है।
8. माननीय तत्कालीन खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2016 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि निर्णय के बिन्दु सं. 4 में विद्वान अभिभाषक व्यवहारी की बहस का उल्लेख है परन्तु बहस के समय न्यायिक दृष्टांतों का कोई उल्लेख नहीं है जिससे प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि बहस में उनकी ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर विचार नहीं किया गया है फिर भी खण्डपीठ यह न्यायोचित समझती है कि उपरोक्त न्यायायिक दृष्टांतों के आधार पर प्रकरण में परीक्षण कर लिया जावे।

em



लगातार.....3

9. न्यायिक दृष्टांत 27th Tax Updates Page 109 CTO V/s. Vijay Traders में व्यवसायी का अवधि 01.04.06 से 30.06.06 एवं दिनांक 01.07.06 से 30.09.06 का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2006 को पारित करते हुये आई.टी.सी. को अस्वीकृत करते हुये मांग कायम की गई हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने सहायक आयुक्त के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 09.11.2006 के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की है। इस पत्र में यह कथन किया गया था कि मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी व मै. राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी दोनों फर्मों द्वारा फर्जी क्रय बताकर विक्रय के वैट इनवोईस जारी किये गये हैं। यदि किसी व्यवहारी ने उक्त दोनों व्यवहारियों से माल खरीदा है तो उन्हें आई.टी.सी. स्वीकृत नहीं करवाये। कर निर्धारण अधिकारी ने संबंधित व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये यह माना है कि जांच में यह पाया गया है कि फर्जी इनवोईस के आधार पर क्रय दिखाया गया है तथा आई.टी.सी. अस्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी ने व्यवसायी की अपील निर्णय दिनांक 21.02.2008 द्वारा स्वीकार करते हुये मांग अपास्त की हैं। कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 19.05.2010 द्वारा अपीलीय अधिकारी का निर्णय यथावत रखा है तथा यह माना है कि सहायक आयुक्त का पत्र क्रमांक 311 दिनांक 09.11.2006 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अनुसार द्वितीयक श्रेणी की साक्ष्य का दस्तावेज है न कि प्राथमिक साक्ष्य का एवं कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं के स्तर पर आरोपित तथ्य की कोई वास्तविक जांच नियमानुसार नहीं की गई हैं तथा पंजीयन प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण विक्रेता व्यवहारी के कर दायित्व को प्रभावित नहीं करता। माननीय एकलपीठ द्वारा अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) के विधिक प्रावधान के संदर्भ में कोई विवेचना नहीं की है क्योंकि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय के समय 18(2) में संशोधन नहीं हुआ था तथा यह बिन्दु विचारणीय नहीं रहा था जबकि इस संशोधन द्वारा आई.टी.सी. दिये जाने के संबंध में पूर्व विक्रेता द्वारा आई.टी.सी. जमा होने की शर्त पर ही देय होने का प्रावधान किया गया था तथा यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से 01.04.2006 से लागू किया गया था। इस संबंध में अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) का उल्लेख करना समीचीन है। अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) संशोधन से पूर्व निम्न प्रकार थी :-

'(2) The dealer may claim input tax credit in the tax period in which he receives the duly filled original VAT invoice, however, no such credit shall be allowed after three months from the date of such invoice. If the original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.'

अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) में Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Act, 2009 की धारा 18(2) में राजस्थान वित्त अधिनियम (संशोधन) 2009 दिनांक 06.02.2009 के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 01.04.06 से संशोधन किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

'(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the

am



लगातार.....4

decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.'

अधिनियम, 2003 की धारा 18(2) में वर्ष 2009 से भूतलक्षी प्रभाव से इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए विक्रेता व्यवहारी द्वारा टैक्स जमा करवाने पर ही क्रेता व्यवहारी को आई. टी.सी. देय होता है। कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया है क्योंकि माननीय एकलपीठ के समक्ष यह बिन्दु विचारणीय ही नहीं रहा था क्योंकि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय दिनांक 30.12.2006 व 21.02.2008 के समय उपरोक्त संशोधन नहीं हुआ था। इस खण्डपीठ की विनम्र राय में अधिनियम, 2003 की धारा 18 में स्पष्ट प्रावधान होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी देय होगा जब राशि जमा की गई हो तथा यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से 01.04.2006 से लागू है।

10. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश 29.09.07 में निम्न प्रकार निर्णय पारित किया है :-

"आलौच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा मै. रामदेव ट्रेडिंग कं., एंव मै. राकेश ट्रेडिंग कं., फलौदी से रु 3,28,70,741/- की ग्वार एवं चने की खरीद की जाकर इस पर रु 11,10,761/- की राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। जांच पर पाया गया कि मै. रामदेव ट्रेडिंग कं., एंव मै. राकेश ट्रेडिंग कं., फलौदी, द्वारा फर्जी क्रय बताकर विक्रय के वैट इनवॉइस जारी किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप उक्त दोनों फर्मों के पंजीयन दिनांक 01.04.06 से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निरस्त किये गये हैं। उपर्युक्त विक्रेता फर्मों के पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त होने के फलस्वरूप व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये माल पर किसी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं बनता है। अतः उपर्युक्त फर्मों से क्रीत माल पर व्यवहारी द्वारा चाहे गये इनपुट क्रेडिट टैक्स को अस्वीकृत कर करारोपण किये जाने हेतु जरिये नोटिस में प्रस्तावित किया गया। प्रथम नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा खरीद-बिलों एवं बिल्टियों की छाया प्रतियां आदि प्रस्तुत की गयी, जांच हेतु अन्य दस्तावेजों एवं स्पष्टीकरण हेतु पुनः सम्मन जारी किया गया। व्यवहारी के व्यवसायी स्थल पर कोई उपस्थित न मिलने के कारण जारी सम्मन चस्पा तामील करवाया गया, किन्तु नियम तिथि पर व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। स्पष्ट है कि व्यवहारी इस प्रकरण में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना चाहता है एवं उसे ज्ञात था कि आलौच्य अवधि में उपर्युक्त फर्मों से की गई खरीद फर्जी वैट इनवॉइस से है। अतः आलौच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा उपर्युक्त फर्मों से की गयी खरीद रु 3,28,70,741/- अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद अवधारित करते हुए इस पर चाहा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट रु 11,10,761/- अस्वीकृत किया जाता है।"

कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में यह पाये जाने पर कि मै. रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मै. राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी द्वारा फर्जी क्रय बताकर विक्रय के वैट इनवॉइस जारी किया जाना पाये जाने के आधार पर पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होने बाबत नोटिस जारी किया है।

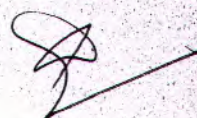
20

लगातार.....5

नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा खरीद बिलों एवं बिल्टियों की छाया प्रतियों आदि प्रस्तुत की गई जिनकी जांच हेतु अन्य दस्तावेजों एवं स्पष्टीकरण हेतु पुनः सम्मन जारी किया गया। व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर कोई उपस्थित न मिलने के कारण जारी सम्मन चसपा तामील कराया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना है कि उपरोक्त फर्मों से की गई खरीद फर्जी वैट इनवॉइस से है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायिक दृष्टांत 27th Tax Updates Page 109 CTO V/s. Vijay Traders में आई.टी.सी. अस्वीकृत करने का कारण मात्र सहायक आयुक्त का पत्र क्रमांक 311 दिनांक 09.11.2006 था एवं माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ ने यह अवधारित किया कि मात्र उपरोक्त पत्र के आधार पर आई.टी.सी. अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था तथा कर निर्धारण अधिकारी को अपने स्तर पर भी जांच करनी चाहिए थी जबकि विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस जारी कर प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर विचार करते हुये विक्रेता व्यवहारी की जांच कर जारी वैट इनवॉइस को फर्जी होने के आधार पर आई.टी.सी. अस्वीकार किया है। इस प्रकार न्यायिक दृष्टांत 27th Tax Updates Page 109 CTO V/s. Vijay Traders के तथ्य विचाराधीन प्रकरण से भिन्न है जिससे विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है।

11. न्यायिक दृष्टांत 9 Tax Updates page 41 M/s. Saraogi Roller Flour Mill V/s. the Assistant Commissioner व 13 Tax Updates the Assistant Commissioner V/s. Saraogi Roller Mill (High Court) एक ही प्रकरण से संबंधित है। प्रथम न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान कर बोर्ड, द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि द्वितीय न्यायिक दृष्टांत से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा की गई है। इस न्यायिक दृष्टांत में कर निर्धारण वर्ष 1998-1999, 1999-2000 व 2000-2001 थे तथा इन अवधियों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 लागू था जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान नहीं था क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 के अन्तर्गत किया गया था। इस न्यायिक दृष्टांत में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा तीन पंजीकृत फर्मों से क्रय किये गये माल को फर्जी क्रय मानते हुये यह माना कि व्यवहारी ने इन तीन विक्रेता व्यवसायियों से कोई माल नहीं खरीदा बल्कि अपंजीकृत व्यवसायियों से माल क्रय किया है तथा व्यवहारी पर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की थी। माननीय कर बोर्ड ने यह अवधारित किया कि यदि विक्रेता व्यवसायी पंजीकृत है तो करअपवंचना का मामला विक्रेता व्यवसायी के विरुद्ध बनता है न कि क्रेता व्यवसायी के विरुद्ध तथा व्यवसायी की कर व ब्याज के बिन्दू पर अपील स्वीकार की है जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने यथावत रखा है। इस प्रकार प्रथम तो कर दायित्व व इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल भिन्न-भिन्न बिन्दु है क्योंकि कर दायित्व अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दायित्व है जिसके निर्वहन की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की है जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक प्रकार से सुविधा है जो तभी देय है जब राज्य पक्ष के पास वह राशि जमा हो जाये क्योंकि यदि बिना राशि जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार किया

2m



लगातार.....6

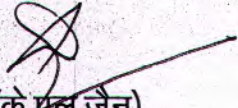
जाता है तो राज्य पक्ष उसकी व्यवस्था कहा से करेगा। इस प्रकार इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य, संदर्भ एवं परिस्थितियाँ विचाराधीन प्रकरण से भिन्न है तथा रेक्टिफिकेशन का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है।

12. न्यायिक दृष्टांत 109 STC 439 (S.C.) State of Maharashtra V/s. Suresh Trading Company, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि विक्रेता व्यवसायी का बाद में भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन निरस्त करने का क्रेता व्यवहारी के अधिकारों पर प्रभावी नहीं माना जा सकता। विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने इनपुट टैक्स इस आधार पर रिवर्स नहीं किया है कि विक्रेता व्यवहारियों का पंजीयन निरस्त हो गया था बल्कि वैट इनवोईस फर्जी पाये जाने के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार किया है। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने के संबंध में अधिनियम की धारा 18(2) में राशि जमा होनी की आवश्यक शर्त है। इस प्रकार इस न्यायिक दृष्टांत से भी अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है।

13. यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि अपीलार्थी की ओर से कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 28.09.2016 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए आदेश में संशोधन चाहा गया है जबकि खण्डपीठ द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विस्तृत विधिक एवं तथ्यात्मक विवेचना के साथ पारित किया गया है उसमें ऐसी कोई त्रुटि 'Error' नहीं है जो on the face of record परिलक्षित हो। किसी सुविचारित आदेश को पुनः उस आदेश से पूर्व निर्णित किसी न्यायिक निर्णय के आधार पर पुनः परीक्षण किया जाना अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है क्योंकि ऐसा किया जाना 'Review' की श्रेणी में सम्मिलित होगा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मक्कड प्लास्टिक एजेंसी (ACTO Vs Makkad Plastic 29 TUD Page 253) में यह अवधारित किया जा चुका है कि पूर्ण विवेचन के साथ पारित आदेश को Reappriciation of facts के साथ Rectify किया जाना विधि के विरुद्ध है एवं संशोधन की धारा के तहत ऐसा किया जाना अनुज्ञेय नहीं है। फलतः इस आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है परन्तु न्यायिक दृष्टि से न्यायिक निर्णयों की विवेचना भी इस आदेश में कर दी गई है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

15. निर्णय सुनाया गया।


(के.एल.जेन)
सदस्य


(न.स.एम.)
सदस्य